



2026:AHC:5266

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 36165 सन् 2025

अब्दुल सलाम

....याचिककर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: प्रवीण कुमार त्रिपाठी, उमेश कुमार दुबे

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता सर्व/श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं उमेश कुमार दुबे को तथा श्री शशांक सिंह, ब्रीफ होल्डर, को राज्य-प्रतिवादी की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह ज़मानत आवेदन आवेदक अब्दुल सलाम की ओर से विचारण की लम्बितता के दौरान एन.डी.पी.एस. अधिनियम, की धारा 8/20/22/60 के अन्तर्गत थाना रेल बाजार, जिला कानपुर नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 996 सन् 2024 में ज़मानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपी आवेदक निर्दोष है और उसे इस मुकदमे में मिथ्या रूप से फँसाया गया है जिसमें आवेदक और सह अभियुक्त के कब्जे से 10 किग्रा 240 ग्राम वर्जित चरस उस झोले से बरामद की गई है जो वो यात्रा के समय साथ में लिए हुए थे, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि समान परिसरितियों में सह अभियुक्त शहाब उर्फ चंदू को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 440/ 2025 में, आदेश दिनांक 23.07.2025 द्वारा पहले ही ज़मानत प्राप्त हो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चुकी है आवेदक का वर्तमान प्रकरण को छोड़ कर कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वो दिनांक 07.06.2025 से कारागार मे निररुद्ध है। जमानत पर रिहाई की स्थिति में न्याय के मार्ग से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, पर इस बात से इनकार नहीं कर सके कि उपरोक्त कथित सामान परिस्थितियों में उपरोक्त सहअभियुक्त को पहले ही इस पीठ द्वारा जमानत प्राप्त हो चुकी है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता एवं सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः यह जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **अब्दुल सलाम** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डर नहीं डालेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक संबंधित न्यायालय अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।



08 जनवरी, 2026

एम/एन

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।